कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–65/2022– 383 दिनांक :– 24.05.2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमण्डल, खँटी/गुमला वन प्रमंडल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/ सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा/ चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/ जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2028–29 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण तथा गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 342.714 लाख (तीन करोड़ बयालीस लाख एकहत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–25/2020–26/स्वी0 व0प0 दिनांक–03.02.2023 एवं आवंटन आदेश संख्या–4/यो0 ब0–25/2020–09/ आ0 व0प0 दिनांक–18.05.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 342.714 लाख (तीन करोड़ बयालीस लाख एकहत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179659010103	302.839
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179659010323	39.875
कुल :–		**342.714**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1(क एवं ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2(क एवं ख)** तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060179659010103 तथा 19S24060179659010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2022–23 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

11. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वियन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

12. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

17. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश सं0–1681 दिनांक–08.06.2015 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

21. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–65/2022– 383** **दिनांक–24.05.2023**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/ दुमका/ जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ मेदिनीनगर / दुमका/ देवघर/ चाईबासा/ जमशेदपुर/पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–65 / 2022– 383** **दिनांक–24.05.2023**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / खूँटी / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / लातेहार / दुमका / पाकुड़ / साहेबगंज / जामताड़ा / चाईबासा / सरायकेला / जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(क)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 346.01 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			484.41	96.50	**580.91**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	9900	47.957	9.554	57.511
2	खूँटी वन प्रमण्डल	1000	4.844	0.965	5.809
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	1000	4.844	0.965	5.809
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	500	2.422	0.482	2.904
5	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	500	2.422	0.482	2.904
6	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	1000	4.844	0.965	5.809
7	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	1000	4.844	0.965	5.809
8	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	500	2.422	0.482	2.904
9	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	500	2.422	0.482	2.904
10	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	500	2.422	0.482	2.904
11	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	1000	4.844	0.965	5.809
12	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	1000	4.844	0.965	5.809
13	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	1000	4.844	0.965	5.809
14	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	500	2.422	0.482	2.904
15	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	1000	4.844	0.965	5.809
16	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	2000	9.688	1.930	11.618
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	500	2.422	0.482	2.904
18	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	500	2.422	0.482	2.904
19	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	1000	4.844	0.965	5.809
20	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	500	2.422	0.482	2.904
21	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	5000	24.220	4.825	29.045
22	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	500	2.422	0.483	2.905
सकल योग :–		**30900**	**149.681**	**29.815**	**179.496**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 346.01 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			38289.47	2515.00	**40804.47**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	400.00	153.158	10.060	163.218
योग :–		**400.00**	**153.158**	**10.060**	**163.218**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनु0–2(क)

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकारः6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवसः 346.01 रूपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 346.01						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	**25.00**	छः फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाऐंगे
2	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.90	20.00	**71.90**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.60	2.00	**36.60**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.90	4.50	**56.40**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	173.01	25.00	**198.01**	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	173.01	0.00	**173.01**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**484.41**	**96.50**	**580.91**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2(ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 346.01						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	7439.22	0.00	7439.22	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	12629.37	0.00	12629.37	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	14359.42	0.00	14359.42	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	692.02	0.00	692.02	
5	पौधों की सुरक्षा	हे0	9.16	3169.45	0.00	3169.45	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :–			**110.66**	**38289.47**	**2515.00**	**40804.47**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 **दिनांक -** 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28538	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	4,795,700.00 रुपये सैतालीस लाख पिन्चानवे हजार सात सौ
2	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28539	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
3	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28540	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ

योग: रुपये सत्तावन लाख चौसठ हजार पाँच सौ 5,764,500.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28541	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
5	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28542	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
6	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28543	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ

योग: रुपये सड़सठ लाख तैंतीस हजार तीन सौ 968,800.00

क्रमिक योग: 6,733,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383   दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28545	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
8	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28546	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
9	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28547	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ

योग: रुपये सित्योत्तर लाख दो हजार एक सौ   968,800.00

क्रमिक योग: 7,702,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

    117.233.176.50   Run Date: 24/5/2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28549	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
11	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28550	SGHFOR011 SRI ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SARANDA FOR. DIV.IFS 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
12	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28551	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ

योग: 1,211,000.00

क्रमिक योग: रुपये नवासी लाख तेरह हजार एक सौ 8,913,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के वाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28552	SGHFOR003 SRI ALOK KUMAR VERMA, IFS D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
14	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के वाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28554	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
15	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के वाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के वाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28555	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ

योग: रुपये एक करोड एक लाख चौइस हजार एक सौ 1,211,000.00

क्रमिक योग: 10,124,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28556	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	968,800.00 रुपये नौ लाख अडसठ हजार आठ सौ
17	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28557	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
18	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28558	DRNFWL004 SRIKANT VERMA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ

योग: 1,453,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पंद्रह लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ 11,577,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28559	SGHFOR001 ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
20	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28560	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
21	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28561	DMKFOR003 SATWIK D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	17,737,800.00 रुपये एक करोड सित्योत्तर लाख सैतीस हजार आठ सौ

योग: 18,464,400.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड इकतालीस हजार सात सौ 30,041,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28562	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	242,200.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार दो सौ
23	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28574	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	955,400.00 रुपये नौ लाख पचपन हजार चार सौ
24	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28575	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पाँच सौ

योग: 1,294,100.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड तेरह लाख पैतीस हजार आठ सौ 31,335,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28576	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
26	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28577	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ
27	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28579	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ

योग: 192,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड पंद्रह लाख अठाइस हजार सात सौ 31,528,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28580	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
29	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28581	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
30	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28582	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ

योग: 241,200.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड स त्र ह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ 31,769,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28583	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ
32	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28584	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ
33	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28585	SGHFOR011 SRI ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SARANDA FOR. DIV.IFS 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ

योग: 192,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड उन्नीस लाख बासठ हजार आठ सौ 31,962,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28587	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पाँच सौ
35	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28588	SGHFOR003 SRI ALOK KUMAR VERMA, IFS D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पाँच सौ
36	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28590	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ

योग: 241,200.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बाइस लाख चार हजार 32,204,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28591	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छयानवे हजार पॉच सौ
38	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28592	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	193,000.00 रुपये एक लाख तिरनावे हजार
39	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28593	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ

योग: 337,700.00

रुपये तीन करोड पच्चीस लाख इकतालीस हजार सात सौ

क्रमिक योग: 32,541,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCH

 117.233.175.50 Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28594	DRNFWL004 SRIKANT VERMA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ
41	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28595	SGHFOR001 ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,500.00 रुपये छ्यानवे हजार पाँच सौ
42	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28596	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,200.00 रुपये अडतालीस हजार दो सौ

योग: 192,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड सत्ताइस लाख चौतीस हजार छः सौ 32,734,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023

पत्र संख्या - 01/YB-65/2022/383 दिनांक - 24-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
43	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28597	DMKFOR003 SATWIK D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,488,500.00 रुपये चौदह लाख अठ्यासी हजार पाँच सौ
44	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	28598	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,300.00 रुपये अडतालीस हजार तीन सौ

योग: 1,536,800.00

रुपये तीन करोड बयालीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ

क्रमिक योग: 34,271,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/5/2023